



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 आषाढ 1944 (श10)  
(सं0 पटना 514) पटना, शुक्रवार, 15 जुलाई 2022

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना  
15 जुलाई 2022

अधिसूचना संख्या 10/2022-राज्य कर (दर)

एस० ओ० 113, दिनांक 15 जुलाई 2022— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम - 12, 2017), की धारा 11 की उप धारा (1) और धारा 16 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद द्वारा, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या 02/2022-राज्य-कर (दर) दिनांक 31 मार्च, 2022 जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 75 दिनांक 31 मार्च, 2022 में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रमांक1 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "फ्लाइं ऐश ईटें; फ्लाइं ऐश समुच्चय; फ्लाइं ऐश ब्लॉक" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 से लागू होगी।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-14) 10)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
डॉ० प्रतिमा,  
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

15 जुलाई 2022

एस० ओ० 113, दिनांक 15 जुलाई 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-14) 10)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

***The 15th July 2022*****Notification No. 10/2022- State Tax (Rate)**

S.O.113, Dated 15th July 2022— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 and sub-section (1) of section 16 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 2/2022-State Tax (Rate), dated the 31<sup>st</sup> March, 2022, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 75, dated the 31<sup>st</sup> March, 2022, namely:-

In the said notification, in Table, against Sl. No. 1, for the entry in column (3), the entry “Fly ash bricks; Fly ash aggregates; Fly ash blocks” shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 18<sup>th</sup> day of July, 2022.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-14) 10)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

*Commissioner State Tax-cum-Secretary.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 514-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>